न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 16/2019

सुमेर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जाट निवासी बजला,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर
उनवानी सरकार बनाम सुमेर सिंह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 12/2018 निर्णय दिनांक 25.2.2019

उपस्थितिः—

1 श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट ———— ————— ——————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 18.01.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.2.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुमेर सिंह मु0नं0 12/2018 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— जमीन हाल खसरा नंबर 180 रकबा 4.63 हैक्टर किस्म बा—3 में से अपीलांट द्वारा तथाकथित रूप से 0.50 हैक्टर जमीन पर चौला की फसल काश्त कर तथाकथित रूप से अतिक्रमी माना जाकर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं 1600/—रूपये वसूली आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजुदा प्रकरण में जमीन हाल खसरा नंबर 180 वाके ग्राम बाजला के लिए धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रा[illegible] नहीं होते। जमीन हाल खसरा नंबर 180 वाके ग्राम बाजला में से उतर की तरफ की 2.9592 [illegible] की खातेदारी बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/अध्यक्ष भूमि आवंटन [illegible] समक्ष नियम 5 ए राज[illegible] राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.01.21 13:40:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

नियम 1970 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। इस प्रकार जब तक उक्त आवंटन प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उक्त जमीन पर धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। उक्त जमीन पर अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन धारा 91 एल.आर.एक्ट की पत्रावली को अन्य न्यायालय में अन्तरित करवाने के लिए आलौच्य निर्णय से पहले दिनांक 17.01.2019 को माननीय न्यायालय के समक्ष अन्तरण प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था जिसमें अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी पक्षकार थे तथा अन्तरण प्रार्थना पत्र के नोटिस प्राप्त हो चुके उसके बावजूद भी माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना कर आलौच्य निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.2.2019 खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– जमीन हाल खसरा नंबर 180 वाके ग्राम बाजला में से उतर की तरफ की 2.9592 हैक्टर की खातेदारी बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/अध्यक्ष भूमि आवंटन कमेटी मलसीसर के समक्ष नियम 5 ए राज. भू. राजस्व नियम 1970 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। इस प्रकार जब तक उक्त आवंटन प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उक्त जमीन पर धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। उक्त जमीन पर अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन धारा 91 एल.आर.एक्ट की पत्रावली को अन्य न्यायालय में अन्तरित करवाने के लिए आलौच्य निर्णय से पहले दिनांक 17.01.2019 को माननीय न्यायालय के समक्ष अन्तरण प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था जिसमें अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी पक्षकार थे तथा अन्तरण प्रार्थना पत्र के नोटिस प्राप्त हो चुके उसके बावजूद भी माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना कर आलौच्य निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.2.2019 खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.01.21 13:40:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 180 कुल रकबा 4.63 है0, किस्म बारानी 3 के रकबा 0.050 हैक्टर पर चौला की फसल काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा हल्का पटवारी बाजला की अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किये गये जिनकी विधिवत तामील होने के बाद न्यायालय में उपस्थित हुये है जिनको कई अवसर भी प्रदान किये गये है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैधानिक साबित होता हो। ना ही अपीलांट ने इस न्यायालय के समक्ष इस प्रकार के कोई तथ्य पेश नहीं किये गये जिससे विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा पुराना या वैध हो। जहांतक नियम का प्रश्न है, भूमि का अभी नियमन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2019 उनवानी सरकार बनाम सुमेर सिंह मु0नं0 12/2018 यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़) 18.1.2021
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.01.21 13:40:44 IST
Reason: SelfAttested

(जे0 पी0 गौड़) 18.1.2021
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं